वर्ष 2026 (1 अप्रैल 2026 से) – बहुत बड़े बदलावों का नया अध्याय

राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ वर्ष 2019 से निरंतर देशभर के एनजीओ को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। अब 1 अप्रैल 2026 से महासंघ अपनी कार्यप्रणाली में **बहुत बड़े और दूरगामी बदलाव** लागू करने जा रहा है। ये बदलाव महासंघ की उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से तय किए गए हैं, जिनका उद्देश्य एनजीओ की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

नीचे विस्तृत रूप से सभी बदलाव दिए जा रहे हैं:

1. लक्ष्य एवं उद्देश्य (Goals & Objectives)

पिछले वर्षों तक महासंघ मुख्य रूप से **गाइडेंस और नॉलेज** के माध्यम से एनजीओ को मजबूत बुनियाद देने पर केंद्रित रहा। किंतु कई एनजीओ फंड/ग्रांट की कमी के कारण महासंघ द्वारा सिखाए गए हुनर और ज्ञान को भी लागू नहीं कर पाते थे।

नया बदलाव:

वर्ष 2026 से महासंघ के **लक्ष्य और उद्देश्यों** में **ग्रांट्स, फंड्स और डोनेशन** के अवसरों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अब महासंघ का मुख्य फोकस केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि एनजीओ को वास्तविक फंडिंग के अवसर उपलब्ध कराना भी होगा। यह निर्णय महासंघ की उच्च अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है।

2. लक्षित दर्शक वर्ग (Target Audience)

महासंघ वर्ष 2019 से लगातार एनजीओ को सशक्त बनाने में सक्रिय रहा, किंतु **क्षेत्रीय भाषाओं** की कमी के कारण देश के दूरदराज के रिमोट एनजीओ तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया।

नया बदलाव:

अब महासंघ **मल्टीपल भाषा विकल्पों** (हिंदी, अंग्रेजी, तथा अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं) के साथ काम करेगा। महासंघ की टीम विशेष रूप से **रिमोट एवं ग्रामीण क्षेत्रों के एनजीओ** तक पहुंच बनाने के लिए सक्रिय रहेगी। इससे देशभर के छोटे-बड़े सभी एनजीओ को समान अवसर मिल सकेंगे।

3. सदस्यता एवं समबद्धता (Membership & Affiliation)

बड़ा बदलाव:

महासंघ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के अनुरूप **सदस्यता एवं समबद्धता शुल्क 3 से 10 गुना** तक बढ़ा दिए गए हैं। जिनको प्रभावी रूप से **अप्रैल 2026 से लागू** कर दिया गया है !

वर्ष 2026 (1 अप्रैल 2026 से) – बहुत बड़े बदलावों का नया अध्याय

नई दरें महासंघ की गुणवत्ता, बढ़ी हुई सेवाओं और नए फंडिंग प्लेटफॉर्म के अनुरूप तय की गई हैं। इससे महासंघ की वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी और सदस्य एनजीओ को उच्च स्तर की सेवाएं मिल सकेंगी।

4. सक्रिय रणनीति (Active Strategy)

महासंघ अब **अपनी टीम, जॉइंट वेंचर्स और सदस्य एनजीओ** को **सक्रिय** रखने के लिए विशेष रणनीतियाँ लागू कर रहा है।

महासंघ की टीम के लिए:

- साप्ताहिक मास्टर-क्लासेस
- केसबुक सीरीज
- संवाद स्टेशन – विचारों की चौपाल

इन सभी कार्यक्रमों की **नियमितता** पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सदस्य एनजीओ के लिए:

- **सोशल कैलेंडर टास्क एक्टिविटीज़** को नए सिरे से शुरू किया गया है।
- हर टास्क एक्टिविटी के लिए "**लीडिंग एनजीओ अवॉर्ड**" के रूप में चयनित एनजीओ को **₹3,000- ₹15,000 की आर्थिक सहायता** प्रदान की जाएगी।
- अवॉर्ड प्राप्त करने वाले एनजीओ को आगे **ग्रांट अवसरों** में प्राथमिकता दी जाएगी।

5. बजट एवं संसाधन (Budget & Resources)

वित्तीय वर्ष 2026 में महासंघ के अग्रणी संस्थानों के **कलेक्टिव डोनर्स एवं स्पॉन्सर्स** तथा महासंघ की टीम के सामूहिक प्रयासों से **₹94 लाख** का **अनरिस्ट्रिक्टेड फंड** तैयार किया गया है। जिसका इसी वित्तीय वर्ष में हमारे द्वारा किए गए सार्थक उपयोग की स्थिति में **22 करोड़ से अधिक** जाने का अनुमान है !

कुल अनुमानित राशि: ₹94 लाख

यह राशि **छोटे-छोटे ग्रासरूट एनजीओ** को **स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम** के रूप में वितरित की जाएगी।
महासंघ अब अपनी अग्रणी संस्थाओं के माध्यम से एनजीओ से **ROI/RFP (Request for Proposal)** आमंत्रित करेगा और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से फंड वितरण सुनिश्चित करेगा।

6. लाभार्थी चयन प्रक्रिया (Beneficiary Selection)

इस वर्ष भी लगातार एनजीओ को **लाभार्थी एनजीओ** के रूप में चयनित किया जाएगा। चयनित एनजीओ को निम्नलिखित सुविधाएँ मिलेंगी:

वर्ष 2026 (1 अप्रैल 2026 से) – बहुत बड़े बदलावों का नया अध्याय

- बुनियादी सेवाएँ
- 1:1 कुशल दिशा-निर्देश
- पूरे वर्ष **मुफ्त ग्रांट एप्लीकेशन** सहायता

नई रणनीति:

- एनजीओ की **सोशल मीडिया सक्रियता** बढ़ाने पर पूर्ण जोर दिया जाएगा।
- महासंघ की टीम द्वारा **आकस्मिक परिभ्रमण (रैंडम विजिट)** भी नियमित रूप से किए जाएंगे।

7. प्रभाव मूल्यांकन (Impact Assessment)

पिछले 7 वर्षों से महासंघ एनजीओ को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर रहा है, किंतु अब तक इसका **व्यवस्थित लेखा-जोखा** नहीं रखा गया था।

नया अनिवार्य प्रावधान:

वित्तीय वर्ष 2026 से **प्रभाव मापन एवं रिपोर्टिंग** अनिवार्य कर दी गई है। यह कार्य **विडियो फीडबैक और टेस्टिमोनियल्स** के माध्यम से किया जाएगा। हर लाभार्थी एनजीओ को अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और प्रभाव की रिपोर्ट महासंघ को नियमित रूप से देनी होगी।

निष्कर्ष-

1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक नई ऊँचाई पर पहुँचने जा रहा है। फंडिंग, भाषाई पहुंच, सदस्यता शुल्क, सक्रिय रणनीति, बजट वितरण, लाभार्थी चयन और प्रभाव मापन – सभी क्षेत्रों में किए गए ये बदलाव एनजीओ को **सशक्त, आत्मनिर्भर और पारदर्शी** बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

यह नया अध्याय न केवल महासंघ के लिए, बल्कि पूरे देश के सामाजिक क्षेत्र के लिए एक **मील का पत्थर** साबित होगा।

राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ
सबके लिए, सबके साथ, सबकी तरक्की
1 अप्रैल 2026 से – नई दिशा, नई उम्मीद